

नवीन न्याय पत्र
पेश करने के
अधिकार को
अपना रखते
इस उच्च
कोर्ट की
विशेषता
है।

मान्यता

16/11/2024

पञ्जावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री
गजानन्द सिंह रावत द्वारा नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के
प्रार्थी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र विद्वा
करने बाबर निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा इस बाबर
पञ्जावली कोर्ट (जिज्ज) पर टिप्पणी दर्ज की गई। वकील प्रार्थी को
सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के नवीन प्रार्थना पत्र पेश
करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र विद्वा
किया गया है। प्रार्थी के अधिकारों को पञ्जावली पर आगे कोई
कार्रवाई नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक आगे कोई
कार्रवाई को सुरक्षित नहीं रह जाती है। ~~वकील प्रार्थी के अधिकारों को~~
~~रखते हुए कोई कार्रवाई को सुरक्षित~~ अतः प्रार्थी के नवीन प्रार्थना
पत्र करने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, प्रत्येक के
वकील प्रार्थी के मौखिक कथनों तथा लिखित टिप्पणी को ध्यान
किया जाकर प्रत्येक में कार्रवाई इसी स्तर पर समाप्त
की जाती है। पञ्जावली केवल शुमार है। नम्बर के कम होकर दायित्व
यफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)